



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 2012/श्रावण 12, 1934

No. 393]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2012/SHRAVANA 12, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 7 मार्च, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)
(द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2012

स.का.नि. 606(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलाएंगे।
- (ii) इन विनियमावली में दिये गये अन्यथा के रूप में सुरक्षित, इन विनियमावली में दिये गये प्रावधान 22 जुलाई 2009 से लागू समझे जाएंगे। @

2. संशोधन - विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) (अब इसके बाद 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में,

1. (i) विनियम 2 में, खंड (iiसी) के बाद, निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-
 " (iiडी) 'देशी निक्षेपागार' का अर्थ वही होगा जो कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करना) नियमावली, 2004 में दिया गया है "
 " (iiई) ' पात्र कंपनी ' का अर्थ वह कंपनी है जो कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करना) नियमावली, 2004 के नियम 4 के तहत भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करने के लिए पात्र है "
- (ii) विनियम 2 में, खंड (v) के बाद निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-
 " (vए) ' भारतीय निक्षेपागार रसीदे ' का अर्थ वही होगा जो कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करना) नियमावली, 2004 में दिया गया है "
- (iii) विनियम 2 में, मौजूदा खंड (vए) को (vबी) के रूप में पुनः नंबर दिया जाएगा।

2. विनियम 5 में, उप-विनियम (7) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(8) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों के भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अनुमोदित उप-लेखे सहित कोई पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा कोई अनिवासी भारतीय, भारत से बाहर की निवासी पात्र कंपनियों की और भारतीय पूँजी बाजार में जारी की गयी भारतीय निक्षेपागार रसीदे (आइडीआर) अनुसूची 7 के पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन खरीद, धारित अथवा बिक्री कर सकता है।"

3. विनियम 12 के बाद निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"13. भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करना:

भारत से बाहर की निवासी कोई पात्र कंपनी भारत में और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को अनुसूची 7 के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन देशी निक्षेपागार के जरिये भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी कर सकती है।"

[सं. फेमा 224/2012-आरबी]

मीना हेमचंद्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : (i) मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र में, भाग II में खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 8 मई, 2000 की सं. सा.का.नि. 406(अ) में प्रकाशित की गई है और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई है :

- 02 मार्च 2001 के जीएसआर सं.158 (ई)
 13 मार्च 2001 के जीएसआर सं.175 (ई)
 14 मार्च 2001 के जीएसआर सं.182 (ई)
 02 जनवरी 2002 के जीएसआर सं.4 (ई)
 19 अगस्त 2002 के जीएसआर सं.574 (ई)
 18 मार्च 2003 के जीएसआर सं.223 (ई)
 18 मार्च 2003 के जीएसआर सं.225(ई)
 22 जुलाई 2003 के जीएसआर सं.558 (ई)
 23 अक्तूबर 2003 के जीएसआर सं.835 (ई)
 22 नवंबर 2003 के जीएसआर सं.899 (ई)
 07 जनवरी 2004 के जीएसआर सं.12 (ई)
 23 अप्रैल 2004 के जीएसआर सं.278 (ई)
 16 जुलाई 2004 के जीएसआर सं.454 (ई)
 21 सितंबर 2004 के जीएसआर सं.625 (ई)
 08 दिसंबर 2004 के जीएसआर सं.799 (ई)
 01 अप्रैल 2005 के जीएसआर सं.201 (ई)
 01 अप्रैल 2005 के जीएसआर सं.202 (ई)
 25 जुलाई 2005 के जीएसआर सं.504 (ई)
 25 जुलाई 2005 के जीएसआर सं.505 (ई)
 29 जुलाई 2005 के जीएसआर सं.513 (ई)
 22 दिसंबर 2005 के जीएसआर सं.738 (ई)
 19 जनवरी 2006 के जीएसआर सं.29 (ई)
 11 जुलाई 2006 के जीएसआर सं.413 (ई)
 14 नवंबर 2007 के जीएसआर सं.712 (ई)
 14 नवंबर 2007 के जीएसआर सं.713 (ई)
 29 नवंबर 2007 के जीएसआर सं.737 (ई)
 05 अगस्त 2008 के जीएसआर सं.575 (ई)
 30 दिसंबर 2008 के जीएसआर सं.896 (ई)
 01 दिसंबर 2009 के जीएसआर सं. 851 (ई)
 21 अप्रैल 2010 के जीएसआर सं. 341 (ई)
 ----- के जीएसआर सं-----
 ----- के जीएसआर सं-----

(ii) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विधियों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची 7

(विनियम 5(8) तथा 13 देखें)

**भारत से बाहर की निवासी पात्र कंपनियों द्वारा
भारतीय निक्षेपागार रसीदे**

1. भारतीय निक्षेपागार रसीदे (आइडीआर) जारी करना :- भारत के बाहर की निवासी पात्र कंपनियां भारत में और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर देशी निक्षेपागार के जरिये भारतीय निक्षेपागार रसीदे (आइडीआर) जारी कर सकती है :-

(क) भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) का निर्गम समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करना) नियमावली, 2004 के अनुपालन में किया जाता है।

(ख) यह निर्गम समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, 2009 के अनुपालन में किया जाता है।

(ग) भारत में मौजूदा वित्तीय/ बैंकिंग कंपनियों द्वारा किसी शाखा अथवा सहायक कंपनी के जरिये आइडीआर के निर्गम के लिए सेक्टोरेल नियामक (नियामकों) का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

(घ) आइडीआर केवल भारतीय रुपयों में ही मूल्यवर्गित होगी।

(ङ) इस प्रकार की आइडीआर जारी करनेवाली पात्र कंपनियों द्वारा आइडीआर के निर्गम की राशि भारत के बाहर तुरंत प्रत्यावर्तित की जाएगी।

2. भारतीय निक्षेपागार रसीदे (आइडीआर) की खरीद/बिक्री:- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-लेखे सहित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा कोई अनिवासी भारतीय, भारतीय निक्षेपागार रसीदे निम्नलिखित शर्तों पर धारित कर सकता है अथवा उसकी बिक्री कर सकता है :-

(क) इसके अतिरिक्त, अनिवासी भारतीय, प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक के पास रखे गये उनके एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते में धारित निधियों में से आइडीआर में निवेश कर सकते हैं।

(ख) आइडीआर, जारीकर्ता कंपनी के अंतर्निहित ईक्विटी शेयरों में स्वतः विनिमेय नहीं होंगी।

(ग) आइडीआर, जारी करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले अंतर्निहित ईक्विटी शेयरों में प्रतिदेय नहीं होंगी।

(घ) जारीकर्ता कंपनी के अंतर्निहित ईक्विटी शेयरों में आइडीआरएस का प्रतिदान/रूपांतरण विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) नियमावली, 2004 के विनियम 22 के उप-विनियम (7) के अनुपालन में होना चाहिए।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th March, 2012

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Second Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 606(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB, dated 3rd May, 2000), namely:—

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2012.
- (ii) Save as otherwise provided in these Regulations, the provisions of these Regulations shall be deemed to have come into force with effect from the 22nd day of July, 2009. @

2. Amendment to the Regulations -

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB, dated 3rd May, 2000) (hereinafter referred to as 'the principal Regulations'),

2885 4/12-2

a) i) in regulation 2, after clause (iic), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(iid) 'Domestic Depository' shall have the meaning as assigned to it in the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004;

(iie) "Eligible Company" means a Company eligible to issue Indian Depository Receipts under Rule 4 of the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004; "

ii) in regulation 2, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:-

"(va) "Indian Depository Receipts (IDRs)" shall have the meaning as assigned to it in the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004; "

iii) in regulation 2, the existing clause (va) shall be renumbered as (vb).

b) in regulation 5, after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(8) A registered Foreign Institutional Investor (FII) including SEBI approved sub-accounts of the FIIs, registered with SEBI or a Non-Resident Indian (NRI) may purchase, hold or sell Indian Depository Receipts (IDRs) of eligible companies resident outside India and issued in the Indian capital market, subject to the terms and conditions specified in Para 2 of Schedule 7."

c) after regulation 12, the following regulation shall be inserted, namely: -

" 13. Issue of Indian Depository Receipts.

An eligible company resident outside India may issue IDRs through a Domestic Depository, to persons resident in India and outside India, subject to the terms and conditions specified in Para 1 of Schedule 7. "

[No. FEMA 224/2012-RB]

MEENA HEMCHANDRA, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note : (i) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 406(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 341(E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. _____ dated _____
G.S.R.No. _____ dated _____

- (iii) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.

Schedule 7

[See Regulations 5 (8) & 13]

INDIAN DEPOSITORY RECEIPTS BY ELIGIBLE COMPANIES RESIDENT OUTSIDE INDIA

1. Issue of IDRs :- Eligible companies resident outside India may issue Indian Depository Receipts (IDRs) through a Domestic Depository, to persons resident in India and outside India, subject to the following conditions: -

(a) the issue of IDRs is in compliance with the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004, as amended from time to time.

(b) the issue is in compliance with the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended from time to time.

(c) any issue of IDRs by financial / banking companies having presence in India, either through a branch or subsidiary, shall require prior approval of the sectoral regulator(s).

(d) IDRs shall be denominated in Indian Rupees only.

(e) The proceeds of the issue of IDRs shall be immediately repatriated outside India by the eligible companies issuing such IDRs.

2. Purchase/sale of IDRs :- A SEBI registered FII including SEBI approved sub-accounts of the FIIs or an NRI may purchase, hold or sell IDRs, subject to the following terms and conditions: -

(a) NRIs may invest in the IDRs out of funds held in their NRE / FCNR(B) account, maintained with an Authorised Dealer / Authorised bank.

(b) IDRs shall not be automatically fungible into underlying equity shares of the issuing company.

(c) IDRs shall not be redeemable into underlying equity shares before the expiry of one year from the date of issue.

(d) Redemption / conversion of IDRs into underlying equity shares of the issuing company shall be in compliance with sub-regulation (7) of Regulation 22, of the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004.

अधिसूचना

मुंबई, 7 मार्च, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 607(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलाएंगे।
- (ii) इन विनियमावली में दिये गये अन्यथा के रूप में सुरक्षित, इन विनियमावली में दिये गये प्रावधान 22 जुलाई 2009 से लागू समझे जाएंगे। @

2. संशोधन

1. (i) विनियम 2 में, खंड (इ) के बाद निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

" (इए) 'देशी निक्षेपागार' का अर्थ वहीं होगा जो कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करना) नियमावली, 2004 में दिया गया है "

" (इबी) 'पात्र कंपनी' का अर्थ वह कंपनी है जो कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करना) नियमावली, 2004 के नियम 4 के तहत भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करने के लिए पात्र है "

(ii) विनियम 2 में, खंड (जे) के बाद निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

" (जेए) 'भारतीय निक्षेपागार रसीदों' का अर्थ वहीं होगा जो कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करना) नियमावली, 2004 में दिया गया है "

2. विनियम 22 में, उप-विनियम (6) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम (7) शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) (i) देशी निक्षेपागार, भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करने के प्रयोजन के लिए अंतर्निहित शेयर होने के कारण भारत के बाहर की निवासी पात्र कंपनी के इक्विटी शेयर्स अर्जित, धारित और अंतरित कर सकता है जैसा उक्त कंपनी अथवा उसकी समुद्रपारीय अभिरक्षक बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

(ii) भारत में निवासी कोई व्यक्ति देशी निक्षेपागार के जरिए भारत के बाहर की निवासी पात्र कंपनी द्वारा जारी भारतीय निक्षेपागार रसीदों का प्रतिदान पर अंतर्निहित शेयरों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन प्रतिदान कर सकता है :

2885 9/12-3

(ए) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियां समय-समय पर यथा संशोधित 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004 के विनियम 6आ तथा 7 के शर्तों के अधीन अंतर्निहित शेयरों की या तो बिक्री कर सकता है अथवा धारित कर रख सकता है,

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास पंजीकृत भारतीय म्युच्युअल फंड समय-समय पर यथा संशोधित 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004 के विनियम 6इ के शर्तों के अधीन अंतर्निहित शेयरों की या तो बिक्री कर सकते हैं अथवा धारित कर रख सकता है,

(सी) निवासी व्यक्तियों सहित भारत में निवासी अन्य व्यक्ति भारतीय निक्षेपागार रसीदों का अंतर्निहित शेयरों में रूपांतरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर केवल बिक्री के प्रयोजन के लिए अंतर्निहित शेयर धारित कर सकता है। "

[सं. फेमा 225/2012-आरबी]

मीना हेमचंद्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : (i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) नियमावली, 2004, सरकारी राजपत्र में 19 नवम्बर, 2004 की सं. सा.का.नि. 757(अ) में प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :

- 07 अप्रैल 2005 के जीएसआर सं.220 (ई)
- 27 मई 2005 के जीएसआर सं.337 (ई)
- 31 अगस्त 2005 के जीएसआर सं.552 (ई)
- 6 सितंबर 2006 के जीएसआर सं.535 (ई)
- 5 जनवरी 2008 के जीएसआर सं.13 (ई)
- 25 मार्च 2008 के जीएसआर सं.209 (ई)
- 24 सितंबर 2008 के जीएसआर सं.676 (ई)
- 31 अक्टूबर 2008 के जीएसआर सं.756 (ई)
- 20 फरवरी 2009 के जीएसआर सं.108 (ई)
- 1 मई 2009 के जीएसआर सं.301 (ई)
- 23 जून 2009 के जीएसआर सं.441 (ई)
- 28 अगस्त 2009 के जीएसआर सं.609 (ई)

(ii) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th March, 2012

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security)
(Amendment) Regulations, 2012**

G.S.R. 607(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA, 120/RB-2004, dated July 7, 2004), namely :—

1. Short Title & Commencement:-

- (iii) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2012.
- (iv) Save as otherwise provided in these Regulations, the provisions of these Regulations shall be deemed to have come into force with effect from the 22nd day of July, 2009.@

2. Amendment

a) (i) in regulation 2, after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(ea) 'Domestic Depository' shall have the same meaning as assigned to it in the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004.

(eb) "Eligible Company" means a Company eligible to issue Indian Depository Receipts under Rule 4 of the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004 "

(ii) in regulation 2, after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ja) 'Indian Depository Receipts' shall have the same meaning as assigned to it in the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004"

b) in Regulation 22, after sub-regulation (6), the following sub-regulation (7) shall be inserted, namely :-

" (7) (i) A Domestic Depository may acquire, hold and transfer equity shares of eligible company resident outside India, being the underlying shares for the purpose of issuing IDRs as may be authorized by such company or its Overseas Custodian Bank.

(ii) A person resident in India may redeem IDRs issued by an eligible company resident outside India through a Domestic Depository, subject to compliance of the following conditions with respect to the underlying shares on redemption :

- (a) Listed Indian companies may either sell or continue to hold the underlying shares subject to the terms and conditions as per Regulations 6B and 7 of the Notification No. FEMA.120/RB-2004 dated July 7, 2004, as amended from time to time,
- (b) Indian Mutual Funds, registered with SEBI may either sell or continue to hold the underlying shares subject to the terms and conditions as per Regulation 6C of the Notification No. FEMA.120/RB-2004 dated July 7, 2004, as amended from time to time.
- (c) Other persons resident in India including resident individuals may hold the underlying shares only for the purpose of sale within a period of 30 days from the date of conversion of the IDRs into underlying shares."

[No. FEMA 225/2012-RB]

MEENA HEMCHANDRA, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note : (i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 757(E), dated November 19, 2004 and subsequently amended as under :

- G.S.R. No. 220 (E) dated April 7, 2005
- G.S.R. No. 337 (E) dated May 27, 2005
- G.S.R. No. 552 (E) dated August.31, 2005
- G.S.R. No. 535 (E) dated September 6, 2006
- G.S.R. No. 13 (E) dated January 5, 2008
- G.S.R. No. 209 (E) dated March 25, 2008
- G.S.R. No. 676 (E) dated September 24, 2008
- G.S.R. No. 756 (E) dated October 31, 2008
- G.S.R. No. 108(E) dated February 20, 2009
- G.S.R. No. 301 (E) dated May 1, 2009
- G.S.R. No. 441(E) dated June 23, 2009
- G.S.R. No. 609(E) dated August 28, 2009

(ii) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.

अधिसूचना

मुंबई, 16 मार्च, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएँ) (संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 608(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएँ) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 25/आरबी-2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएँ) (संशोधन)

विनियमावली, 2012 कहलाएंगे।

(ii) वे इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू समझे जाएंगे।

2. अनुसूचियों में संशोधन - विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएँ) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000) में, अनुसूची II में,

(i) पैराग्राफ '1' के बाद, निम्नलिखित नया पैराग्राफ जोड़ा जाएगा और वह 20

मई 2011 से लागू समझा जाएगा :-

“ 1ए. पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक ब्लॉक की गयी राशि तंत्र द्वारा समर्थित आवेदन पत्र (Application Supported by Blocked Amount (ASBA)) के तहत प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) से संबंधित अस्थायी पूंजी प्रवाहों की हेजिंग के लिए विदेशी मुद्रा-रूपया स्वाप, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट शर्तों पर, कर सकते हैं। ”

(ii) पैराग्राफ '4' के बाद, निम्नलिखित नया पैराग्राफ जोड़ा जाएगा और वह 21

जुलाई 2011 से लागू समझा जाएगा :-

“ 5. अनिवासी आयातक/निर्यातक भारतीय रुपयों में इनवाइस किये गये भारत से निर्यात और भारत को किए गए आयात के संबंध में मुद्रा जोखिम को हेज करने के लिए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ उन मुद्राओं, जिनमें से एक मुद्रा रूपया होगी, में वायदा संविदा अथवा विदेशी मुद्रा-रूपया विकल्प संविदा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट शर्तों पर, कर सकते हैं। ”

[सं. फेमा 226/2012-आरबी]

मीना हेमचंद्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : 1. @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2012 5/12-4

2. मूल विनियमावली 8 मई 2000 को जी.एस.आर.सं.411(ई) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी।

28.09.2000 के जी.एस.आर.सं. 756 (ई)

09.04.2002 के जी.एस.आर.सं. 264 (ई)

19.08.2002 के जी.एस.आर.सं. 579 (ई)

18.03.2003 के जी.एस.आर.सं. 222 (ई)

09.07.2003 के जी.एस.आर.सं. 532 (ई)

11.11.2003 के जी.एस.आर.सं. 880 (ई)

11.11.2003 के जी.एस.आर.सं. 881 (ई)

28.12.2005 के जी.एस.आर.सं. 750 (ई)

19.04.2006 के जी.एस.आर.सं. 222 (ई)

19.04.2006 के जी.एस.आर.सं. 223 (ई)

07.12.2007 के जी.एस.आर.सं. 760 (ई)

05.08.2008 के जी.एस.आर.सं. 577 (ई)

23.06.2009 के जी.एस.आर.सं. 440 (ई)

14.12.2009 के जी.एस.आर.सं. 895 (ई)

27.07.2010 के जी.एस.आर.सं. 635 (ई), और

----- के जी.एस.आर.सं.-----

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th March, 2012

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2012.

G.S.R. 608(E). —In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000), namely :—

1. Short Title and Commencement

- (i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2012.
- (ii) They shall be deemed to have come in to force with effect from the dates specified in these regulations.

2. Amendment of Schedules — In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000), in Schedule II,

- (i) after paragraph '1', the following new paragraph shall be inserted and the same shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of May 2011 :-

"1A. A registered FII may enter into foreign currency – rupee swaps for hedging the transient capital flows relating to the Initial Public Offers (IPO) under the Application Supported by Blocked Amount (ASBA) mechanism, subject to such terms and conditions as may be stipulated by the Reserve Bank from time to time."

- (ii) after paragraph '4', the following new paragraph shall be inserted and the same shall be deemed to have come into force with effect from the 21st day of July 2011 :-

"5. A non-resident importer / exporter may enter in to a forward contract with rupee as one of the currencies or a foreign currency – rupee option contract with an Authorised Dealer in India to hedge the currency risk in respect of exports from and imports to India, invoiced in Indian Rupees, subject to such terms and conditions as may be stipulated by the Reserve Bank from time to time."

[No. FEMA 226/2012-RB]

MEENA HEMCHANDRA, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note : 1. @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

2. The principal regulations were published in the Official Gazette vide GSR No. 411(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide –

GSR No. 756(E) dt. 28.09.2000,
 GSR No. 264(E) dt. 09.04.2002,
 GSR No. 579(E) dt. 19.08.2002,
 GSR No. 222(E) dt. 18.03.2003,
 GSR No. 532(E) dt. 09.07.2003,
 GSR No. 880(E) dt. 11.11.2003,
 GSR No. 881(E) dt. 11.11.2003,
 GSR No. 750(E) dt. 28.12.2005,
 GSR No. 222(E) dt. 19.04.2006,
 GSR No. 223(E) dt. 19.04.2006,
 GSR No. 760(E) dt. 07.12.2007,
 GSR No. 577(E) dt. 05.08.2008,
 GSR No. 440(E) dt. 23.06.2009,
 GSR No. 895(E) dt. 14.12.2009,
 GSR No. 635(E) dt. 27.07.2010, and
 GSR No. dt.

अधिसूचना

मुंबई, 30 मई, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 609(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

2.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलायेंगे।

(बी) ये विनियम, इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू माने जायेंगे। @

3.विनियम 21 में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004), (अब इसके आगे "मूल विनियमावली" के रूप में उल्लिखित) में,

(ए) विनियम 21 में:-

(i) उप-विनियम (2) में, खंड (i) में, "500 मिलियन अमरीकी डॉलर" शब्दों और आँकड़ों के स्थान पर, "750 मिलियन अमरीकी डॉलर" शब्द और आँकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे और यह माना जाएगा कि वे 23 सितंबर 2011 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।

(ii) खंड (ii) में, "500 मिलियन अमरीकी डॉलर" शब्दों और आँकड़ों के स्थान पर, "750 मिलियन अमरीकी डॉलर" शब्द और आँकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे और यह माना जाएगा कि वे 23 सितंबर 2011 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।

(बी) अनुसूची I में, खंड (ii) में, "500 मिलियन अमरीकी डॉलर" शब्दों और आँकड़ों के स्थान पर, "750 मिलियन अमरीकी डॉलर" शब्द और आँकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे और यह माना जाएगा कि वे 23 सितंबर 2011 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।

[सं. फेमा 231/2012-आरबी]

रश्मि फौजदार, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1. मूल विनियमावली 19 नवंबर 2004 को जीएस.आर.सं.757 (ई) के जरिये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:
 7 अप्रैल 2005 के जी.एस.आर.सं.220(ई),
 27 मई 2005 के जी.एस.आर.सं.337 (ई),
 31 अगस्त 2005 के जी.एस.आर.सं.552(ई),
 6 सितंबर 2006 के जी.एस.आर.सं.535(ई),
 5 जनवरी 2008 के जी.एस.आर.सं.13(ई),
 25 मार्च 2008 के जी.एस.आर.सं.209(ई),
 24 सितंबर 2008 के जी.एस.आर.सं.676(ई),
 31 अक्टूबर 2008 के जी.एस.आर.सं.756(ई),
 20 फरवरी 2009 के जी.एस.आर.सं.108(ई),
 01 मई 2009 के जी.एस.आर.सं.301(ई),
 23 जून 2009 के जी.एस.आर.सं.441(ई),
 28 अगस्त 2009 के जी.एस.आर.सं.609(ई),
 ----- के जीएसआर सं. ---- (ई)

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th May, 2012

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 609(E). —In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004), namely :—

2. Short title and commencement.-

(a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2012.

(b) They shall be deemed to have come into force from the dates specified in these regulations. @

3. Amendment of Regulation 21:-

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004) (hereinafter referred to as 'the principal regulations'),

2885 6/12-5

(A) in Regulation 21:-

- (i) in sub-regulation (2), in clause (i), for the word and figures "USD 500 Million", the words and figures "USD 750 Million" shall be substituted and the same shall be deemed to have been substituted with effect from 23rd day of September 2011.
- (ii) in clause (ii), for the word and figures "US \$ 500 Million", the words and figures "USD 750 Million" shall be substituted and the same shall be deemed to have been substituted with effect from 23rd day of September 2011.

(B) In Schedule I, in clause (ii), for the word and figures "USD 500 Million", the words and figures "USD 750 Million" shall be substituted and the same shall be deemed to have been substituted with effect from 23rd day of September 2011.

[No. FEMA 231/2012-RB]

RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

Foot Note : @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

- The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.757 (E) dated November 19, 2004 and subsequently amended vide
G.S.R. No. 220 (E) dated April 7, 2005,
G.S.R. No. 337 (E) dated May 27, 2005,
G.S.R. No. 552 (E) dated August 31, 2005,
G.S.R. No. 535 (E) dated September 6, 2006,
G.S.R. No. 13 (E) dated January 5, 2008,
G.S.R. No. 209 (E) dated March 25, 2008,
G.S.R. No. 676 (E) dated September 24, 2008,
G.S.R. No. 756 (E) dated October 31, 2008,
G.S.R. No. 108 (E) dated February 20, 2009,
G.S.R. No. 301 (E) dated May 1, 2009,
G.S.R. No. 441 (E) dated June 23, 2009,
G.S.R. No. 609 (E) dated August 28, 2009,
G.S.R. No. ----- dated -----

अधिसूचना

मुंबई, 30 मई, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 610(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (डी) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलायेंगे।

(बी) ये विनियम, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू माने जायेंगे। @

2. विनियमों में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी), (अब इसके आगे "मूल विनियमावली" के रूप में उल्लिखित) में

(अ) अनुसूची I में, पैराग्राफ (1) में

(ए) खंड (बी) के लिए, उप-पैराग्राफ (i) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि वह 19 दिसंबर 2011 से प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात्,

" माइक्रो फाइनांस गतिविधियों में लगे/लगी गैर सरकारी संगठन और माइक्रो फाइनांस संस्थाएं, रिज़र्व बैंक द्वारा, समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत, इस अनुसूची के तहत विदेशी मुद्रा में उधार ले सकते हैं/सकती हैं ।

बशर्तें उन्होंने कभी भी इस विनियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न किया हो और इस अधिनियम के तहत, इन विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में उनके विरुद्ध कोई जाँच लंबित न हो । "

(बी) खंड (बी) के लिए, उप-पैराग्राफ (i) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि वह 19 दिसंबर 2011 से प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात् :-

" माइक्रो फाइनांस गतिविधियों में लगे/लगी गैर सरकारी संगठन और माइक्रो फाइनांस संस्थाओं द्वारा अनुसूची I के खंड I के पैराग्राफ (i) (बी) में यथा विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में उधार किसी वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान 10 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक नहीं होगा। "

(सी) उप-पैराग्राफ (v) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि वह 23 सितंबर 2011 से प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात्:-

"v) परिपक्वता

विदेशी मुद्रा में लिए गए उधार की परिपक्वता निम्नानुसार होगी :

राशि**न्यूनतम औसत****परिपक्वता अवधि**

- i) 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक 3 वर्षों से कम नहीं ।
- ii) 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक 5 वर्षों से कम नहीं ।

और 750 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा समतुल्य राशि तक

टिप्पणी - 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के उधार में कॉल/पुट ऑप्शन हो सकते हैं बशर्तें उपर्युक्त विनिर्देशन के अनुसार 3 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता कॉल/पुट ऑप्शन का प्रयोग करने से पहले पूरी होती हो ।"

(ब) अनुसूची II में,

उप पैराग्राफ (iv) के लिए, पैराग्राफ (3) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि वह 23 सितंबर 2011 से प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात्:-

28854/12-6

"(iv) परिपक्वता

(ए) विदेशी मुद्रा में लिए गए उधार की परिपक्वता निम्नानुसार होगी :

राशि	औसत परिपक्वता अवधि
(i) 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक	3 वर्षों से कम नहीं
(ii) 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक	5 वर्षों से कम नहीं
(बी) 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के उधार में कॉल/पुट ऑप्शन हो सकते हैं बशर्ते खंड (ए) में किए गए विनिर्देश के अनुसार 3 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता कॉल/पुट ऑप्शन का प्रयोग करने से पहले पूरी होती हो।"	

[सं. फेमा 232/2012-आरबी]

रश्मि फौजदार, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1. मूल विनियमावली 5 मई 2000 को जी.एस.आर.सं.386 (ई) के जरिये सरकारी राजपत्र में, भाग II, खंड 3, उप-खंड (1) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

- i. 25 अगस्त 2000 के जी.एस.आर.सं.674(ई),
- ii. 8 जुलाई 2002 के जी.एस.आर.सं.476 (ई),
- iii. 31 दिसंबर 2002 के जी.एस.आर.सं.854(ई),
- iv. 9 जुलाई 2003 के जी.एस.आर.सं.531(ई),
- v. 9 जुलाई 2003 के जी.एस.आर.सं.533(ई),
- vi. 23 मार्च 2004 के जी.एस.आर.सं.208(ई),
- vii. 22 दिसंबर 2004 के जी.एस.आर.सं.825(ई),
- viii. 9 फरवरी 2005 के जी.एस.आर.सं.60(ई),
- ix. 22 दिसंबर 2005 के जी.एस.आर.सं.739(ई),
- x. 16 अक्टूबर 2007 के जी.एस.आर.सं.663(ई),
- xi. 30 जनवरी 2009 के जी.एस.आर.सं.61(ई),
- xii. 24 जुलाई 2009 के जी.एस.आर.सं.547(ई),
- xiii. 23 नवंबर 2009 के जी.एस.आर.सं.836(ई),

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th May, 2012

**Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange)
(Amendment) Regulations, 2012**

G.S.R. 610(E). —In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 3/2000-RB dated May 3, 2000), namely :—

1. Short title and commencement:

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2012.
- (b) They shall be deemed to have come into force from the date specified in these regulations. @

2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 3/2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as 'the principal regulations')

(A) In Schedule I, in paragraph(1)

- (a) for clause (b), in sub paragraph(i), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 19th day of December 2011, namely,

"Non Government Organisations and Micro Finance Institutions engaged in micro-finance activities may borrow in foreign exchange under this Schedule under such terms and conditions as specified by the Reserve Bank from time to time.

Provided that they have not at any time violated any of the provisions of these regulations and no investigation is pending against them for contravention of the provisions of these regulations under the Act."

- (b) for clause (b), in sub-paragraph (ii), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 19th day of December 2011, namely:-

"The borrowings in foreign currency under as specified in paragraph(i) (b) of section I of Schedule I, by a non-government organisation and Micro Finance Institution engaged in micro-finance activities shall not exceed USD 10 million or equivalent during a financial year (April-March)."

- (c) for sub-paragraph (v) the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 23rd day of September 2011, namely:-

(v) Maturity

The maturity of the borrowings in foreign exchange shall be as under :

Amount	Minimum Maturity	Average
i) Up to USD 20 Million or equivalent	Not less than 3 years.	

- ii) Exceeding USD 20 Million or equivalent and Not less than 5 years.
upto USD 750 Million or equivalent

Note - Borrowing up to US\$ 20 Million can have call / put option provided the minimum average maturity of 3 years as prescribed above is complied with before exercising call / put option. "

(B) In Schedule II,

for sub-paragraph (iv), in paragraph(3), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 23rd day of September 2011, namely:-

"(iv) Maturity

- (a) The maturity of borrowings in foreign exchange shall be as under:

Amount	Average Maturity
(i) Upto USD 20 million or equivalent	Not less than 3 years
(ii) Exceeding USD 20 million or equivalent	Not less than 5 years

- (b) Borrowings upto USD 20 million can have call/put option provided the minimum average maturity of 3 years as prescribed in clause (a) is complied with before exercising call/put option."

[No. FEMA 232/2012-RB]

RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

Foot Note : @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations

1. The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. No.386 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:
 - i. G.S.R.674 (E) dated August 25,2000
 - ii. G.S.R.476 (E) dated July 8,2002
 - iii. G.S.R.854 (E) dated December 31,2002
 - iv. G.S.R.531 (E) dated July 9,2003
 - v. G.S.R.533 (E) dated July 9,2003
 - vi. G.S.R.208 (E) dated March 23,2004
 - vii. G.S.R.825 (E) dated December 22,2004
 - viii. G.S.R.60 (E) dated February 9,2005
 - ix. G.S.R.739 (E) dated December 22,2005
 - x. G.S.R.663 (E) dated October 16,2007
 - xi. G.S.R.61 (E) dated January 30,2009
 - xii. G.S.R.547(E) dated July 24, 2009
 - xiii. G.S.R. 836(E) dated November 23, 2009